[Shri Hari Vishnu Kamath]

darkness of tyranny and terror into the light of freedom, democracy and human rights, are in full sympathy with the struggle of the people of Iran against the oppressive and tyrannical regime of the Shah of Iran.

In the circumstances, therefore, the Government would do well to take the House into confidence and, also rescind the orders of deportation, if any, against the Iranian students in India.

Also, may I add this Sir? The Minister of External Affairs was here earlier and he came to me and said that he wanted to make a statement in the House. But he has an appointment with an Ambassador at 1 O' clock. I don't know whether he will be back at 2. I don't know whether the Minister of Parliamentary Affairs has been authorised to make a statement on his behalf.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It does not look like that.

13.28 hrs.

SUGAR UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Bhanu Pratap Singh on the 13th December, 1978, namely:—

> "That the Bill to provide for the temporary taking over, in the public interest, of the management of certain sugar undertakings in certain circumstances, be taken into consideration."

Let me see who has to speak. Shri Dajiba Desai. We have 55 minutes including Minister's speech and there are 37 amendments.

SHRI DAJIBA DESAI (Kolhapur): Mr. Deputy Speaker Sir, I rise to offer my comments on the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Bill.

This Bill contemplates the taking over of sick sugar mills. The Government, in the Statement of Objects and Reasors, has stated as follows:—

> "In the interest of the consuming public and sugarcane growers and to maintain production and availability of sugar which is an essential commodity, it became necessary to take provision for the taking over by the Government of the management of defaulting sugar undertakings for a specified period."

So, this perhaps indicates that there is vacillation on the part of the Government. If they want to support the sugar industry and the sugarcane growers, this is a very limited measure. In fact, the problem has become so serious that the Government has to come up with a major policy decision about taking over of the entire sugar industry. Every sugar factory has stocks which it cannot sell. Sir, the sugarcane growers are in peril as their sugarcane may not be taken this year by the sugar factores. And if they produce gur, as gur is overflowing in the market, that also cannot be sold. So, this is the problem of the sugar industry and the sugarcane growers. This problem ought to have been dealt with in a more serious manner. It is unfortunate that this Bill speaks only about the 'defaulting mills'. And which are these 'defaulting mills'? According to the Government, they are very few, as compared to the large number of sugar factories. But according to this Bill, nearly 50 per cent of the sugar mills are defaulting in respect of payment of sugarcane dues. Regarding cane dues, the definition in the Bill is like this.

"3(1)(b) that on any date in any sugar year...." That means in every sugar factory, on every 15th day the arrears become 10.

And in no factory the management pays to the sugar-cane growers their dues in 15 days. So, according to the provisions of the Bill, every sugar factory is in arrears to the sugar-cane growers, that is, 10 per cent. I want to know whether the Minister really intends to take over all these sugar mills or just to take some defaulting mills as has been the policy of the previous Government as well as the present Government? The Government has taken over the management of a number of sick mills. The same thing is being repeated in sugar industry also. What would be the result? The result is that there is a sort of rehabilitation scheme for mill owners. Now, these sick mills will be taken over by the Government and the arrears of the sugarcane growers will be paid, machinery will be modernised and production will increase and after three years the owners of the sugar mills will become entitled to the ownership of the management of the factory as well as the benefits. Now, the Government will have to modernise the factories. Without that the factory cannot work well. This is a sort of rehabilitation. Moreover, the entire scheme envisaged in this Bill is very much loaded in favour of the sugar mill owners. I can just give some instances.

According to Section 3(2) there are two inquiries. The first inquiry is when the Government intends to take the ownership, they will give some information, they will give some reason. Again the Government will order for further inquiry. This means that there will be two inquiries before taking over them.

The second point is in regard to Clause 8(2). It reads like this.

> "8(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Government may render such assistance in such manner as it may deem fit to any notified sugar undertaking to enable the undertaking to clear the whole or any part of its arrears of cane dues so as to avoid undue hardship to cane producing farmers."

That means the amount spent for clearing the arrears will be an asistance not loan to the sugar factories and according to this scheme, the Government will help the sugar mills to clear the arrears. Who are they? In the last 20 year or 30 years, they have amassed large amount, they have taken away all the capitals invested In the factory. They have defaulted the sugar cane growers, they have defaulted the Government in not paying the taxes and a number of other things they have done. So, the Government is going to come forward to assist them to clear the dues. So, in the name of sugarcane growers, the Government is going to help the sugar mills, may be private or public or co-operative. The Government is coming forward to help them.

The third thing is that there are two things, that is, assistance and loans to be given to the factory. The loans have the priority that the sugar factory will have to pay first the loans they have taken from the Government. But in other cases there are certain instances of assistance. They are given under contracts, agreements, etc. The Government has given them all opportunities. First, the Government will suspend any right, privilege, obligation or liability if their contract of employment is onerous, till the Government management is there. Even then, the sugar mill-owners have been given the right to go to the courts and challenge the Government order. We know what happens in such cases. The bureaucrats and the mill managers may join together and they will get an order that the Government order is wrong or *ultra vires*. It is thus in favour of sugar factories. What about the sugarcane growers and the workers working in the factories? There is no protection for them. That is beyond the scope of this Bill. According to the Gov-

[Shri Dajiba Desai]

ernment there is a specific order of the Government, the sugarcane control order, that the sugarcane growers should be given minimum price. And what about the workers? There is no job guarantee for them. There is a provision in this Bill that after taking over the management, the new Custodian may dismiss their services, if their contract is onerous. Thus, there is no protection for them, for the sugarcane growers and the workers in the factories. On the other hand, as far as the financial assistance is concerned, Government is very generous. In these conditions, the Government must come with a modified scheme. The scheme as envisaged in this Bill is basically pro-sugar mill owners. I request the Government to come with a modified scheme and I will suport it.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Mr. Deputy-Speaker, Sir, my first reaction to the Bill is that it is good so far it goes, it is bad so far as it does not go. As a matter of fact, my burden has been lessened to a great extent by my friend Shri Dajiba Desai and I will not cover the points already made by him.

The first point is and which distrubs me most, what was the actual motivation of the Government for promulgating such an ordinance. Was it to salvage the sick sugar units or to really stall any measure of nationalisation? To me, the motivation has been to pre-empt this take-over of the sugar units by the State Government. This is one of the motivation. The present Bill is not even a half-way towards nationalization which, according to me, is the only solution of the problem. I want to draw the attention of the hon. House to the serious drawbacks of the Bill. One, this ordinance is not going to be applied in cases where the units are under the State Government or under the Sugar Corporation of the State Government, even if they are dafaulters. Examples are there. I had recently been to Uttar Pradesh, where I was informed that many State Government units have also not started crushing even after the 15th November. Dues are also with those units for the arears of the cane growers. Therefore, one major weakness of the Bill is that the Government units or the semi-Government units will be outside the orbit of the Bill itself.

The second major weekness is that this Bill does not provide any guarantee for the remunerative price of the cane for the growers. This is a very important aspect of the sickness of the industry. You would be very unhappy to learn that the hon. Minister has been on record on many occasion saying that the present Government's Policy is not to allow sugarcane to be sold beyond Rs. 10/— which has been the rate fixed by the APC. As a matter of the fact, last year the cane growers of Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country used to get more than that—Rs. 12/-, Rs. 12.50 or even Rs. 14/-. His Policy is to deprive the cane growers of the legitimate price for the cane. So, the major objective is not to help them, but rather to deprive them of a legitimate price, a just price—if not a remunerative price. The Bill does not, again, provide for clearance of all the arrears which amount—to Rs. 53 crores as he said earlier, but now according to the statement it has come down to—Rs. 46 crores. The Bill does not provide for the repayment of the entire arrears of the cane growers. And it will be all the more clear from the Financial Memorandum attached to the Bill where it has been said that Rs. 50 lakhs to Rs. 60 lakh will be needed for the clearance, in which the Government wants to help. So, the major port of the arrears will not be cleared. Therefore, cane growners are not getting any benefit out of this Bill. They are not getting their arrears, they are not getting remunerative prices for the cane. Yet it is being said that it is to protect their intrests that the Ordinance was promulgated.

I have not got much time, but I would say that a dichotomy of administration is also being brought in now. Thrĕ State Government of Bihar has, by an ordinance—of course there is a High Court injunction—taken over the sugar mills. They will help their own administration. The UP Government has got under it certain mills under the Sugar Corporation. They have got their own administrative apparatus; and in Madhya Pradesh and Maharashtra, there are cooperatives administering them.

This Bill does not prescribe what kind of administration will be there in the case of those units which are being taken over by the Government of India. So, there will be separate administrative apparatuses which will have no cohesion amongst themselves; and as a matter of fact, the result will be this: no relief will be proved-ed either to the growers or to the consumers, and everything will be in a mess. I would have been happy if the Government had considered the entire problem of the sugar industry in a comprehensive manner and brought forward a comprehensive Bill in this respect.

Concluding, I would say that the reality is that the sicker the units become, healthier do the proprietors become. This is all the more true in the case of sugar industry; and I think that this Bill is a presentation to those healtheir proprietors of the sick units.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Mr. Yadav.

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur): My name is also there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry I cannot call everybody. There are about 10 names here. I am calling him because he has given a motion for circulation.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, शुगर अंडरटेकिंग्ज (अंडरटेकिंग आफ मैनेजमेंट) बिल का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। मंत्री महोदय को इस बिल को कम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिये था। इसके एम्स एंड ओबजैक्ट में आप पढ़ेंगे।

"The arrears of cane price for 1977-78 sugar season, as aa the beginning of the current 1978-79 season, that is, on the 1st October, 1978, amounted to over Rs. 53 crores."

53 करोड़ रुपया किसानों का मिलों पर बाकी है। जो विधेयक मंत्री महोदय लाये हैं, उसमें उन्होंने एक चैप्टर मिल मालिकों को पेमेंट के लिये बनाया है। यह 53 करोड़ रुपया जो किसानों का बाकी है, यह मंत्री महोदय को, हमको और आपको शायद कोई बहुत बड़ा एमाउन्ट न लगता हो लेकिन किसानों के लिये यह बहुत बड़ी राशि है। यह केवल एक साल का नहीं है, हर साल किसान मिल में अपना ईख दे देते हैं और मिल मालिक उसको रुपया नहीं देते हैं और सालों साल रुपया बाकी रहता है। इस तरह से किसानों की भयंकर लुट हर साल मिल मालिक करते आ रहे हैं। अब इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं उसमें मंत्री महोदय को इस बकाया का सबसे पहले पेमेंट करने का प्रावधान करना चाहिये था, लेकिन वह इस बिल में नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने अपने पौने दो साल की हकूमत में सब से अच्छा और जनोपयोगी तथा भ्रष्टाचार मिटाने का काम चीनी के डी-कन्ट्रोल करने का किया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जब चीनी का डी-कन्ट्रोल हुआ उससे पहले हमारे यहां ही नहीं समूचे देश में जहां भी चीनी पर कन्ट्रोल था, वहां हर ब्लाक अफसर को चीनी के कन्ट्रोल से 5 हजार रुपये की आमदनी होती थी। वह डीलर्स से रुपया लेते थे और चीनी को ब्लैक में बिकवाते थे। चीनी के डी-कन्ट्रोल हो जाने से ब्लैक भी खत्म हुआ है और जो अफसरों की ब्लक मार्केट की आमदनी थी, वह भी खत्म हुई है और हर जगह चीनी सुविधा से मिलती है, गरीब को भी मिलती है। चीनी की कहीं कमी नहीं है। यह तो अच्छा किया गया है चीनी को डी-कन्ट्रोल कर के, लेकिन इसके साथ इनको तुरन्त यह भी सोचना चाहिये था कि जिन चीनी मिलों की हालत खराब है, मैनेजमेंट वगैरा ठीक नहीं है, उसका नेशनलाइजेशन किया जाये, राष्ट्रीयकरण किया जाय।

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

हमारे बिहार में पूर्णिया के फारबीसगंज में बनवंकी सहकारी चीनी मिल है। वहां के मैनेजर्स व दूसरे लोग चीनी मिल की सारी आमदनी और बचत खा जाते हैं और वह चीनी मिल सिक-सा पड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार के कारण सिक है। इसलिये सरकार को ऐसे मिलों के अधिग्रहण का भी प्रावधान करना चाहिये था।

मंत्री महोदय को इस बिल में यह भी प्रावधान करना चाहिये था कि जिन किसानों का 53 करोड़ रुपया बाकी है, सबसे पहले उसका पेमेंट किया जाता। सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिये था जिससे वह इन मिलों को अपने अधीन लेकर ठीक से चलाती। इस बिल के ऑबजैक्ट्स में लिखा है कि इस साल हमारे यहां ऊख का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है और चीनी का प्रोडक्शन भी काफी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें काफी भ्रष्टाचार है और मुनाफाखोरी के कारण चीनी मिलों की हालत बहुत दुर्गति से चल रही है। मजदूरों और किसानों का पेमेंट नहीं होता है। इसलिये एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये, जिसमें सारी बातों का समावेश होना चाहिये। इसी लिये मैं ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिये भेजने का संशोधन दिया है। इतना कहकर मैं आपको भी धन्यवाद देता और मंत्री महोदय को भी और उनसे आग्रह करता हूं कि वह किसानों के बकाया पेमेंट को कराने के लिये अवश्य सोचें।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस पर बात करने का मौका दिया। चीनी मिल वालों के लिए यह स्वीट कार्नर पहले कांग्रेस सरकार का था और आज इन का भी है। आप पुरानी तवारीख देखें तो 1975-76 में जब एमर्जेन्सी लगी उस वक्त भी चीनी मिलों को 340 करोड़ रुपये का फालतू मुनाफा हुआ। वह पूरी कीमत खांड की वही रही, गन्ने की कीमत वही रही, मजदूरों को वही कीमत दी लेकिन जो शीरा निकलता था उस की कीमत पांच गुना बढ़ाई गई। उस का अगर कैलकुलेशन करें तो 340 करोड़ रुपये का मुनाफा उन को हुआ जब कि एक नया पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया।

यह खुशी की बात है कि जो गन्ना मिलें गन्ना नहीं ले रही हैं उन मिलों को सरकार ले रही है लेकिन ये गन्ना मिलें तो सारा फायदा उठा चुकी हैं। जो मशीनें आज उन के पास हैं वह मुफ्त में हैं। अगर कैलकुलेशन करें तो इनकमटैक्स वालों से जो डेप्रिशिएशन का पैसा उन्होंने लिया है इस वक्त तक वह उस से ज्यादा है। जो इस वक्त उन की मिल पड़ी है उस की कीमत से ज्यादा पैसा वह इनकमटैक्स से ले चुके हैं। तो इन से इन की मिलों को लेने के बाद तीन साल बाद इन को चालू कर के और इन का नुकसान उठा कर सरकार फिर इन को वापस कर देगी जब कि जिन मिलों को ले रहे हैं उस पर एक पैसा उन का नहीं लगा है, वह सारा का सारा पैसा डेप्रिशिएशन से उन्होंने वसूल कर लिया है। एक बात और कहूंगा कि यह कांग्रेस की जो बीमारी है यह इन्हें भी लग गई है। कांग्रेस के समय में था कि अनाज नहीं है, पंडित नेहरू और उस के बाद इतने सारे व्यक्ति जो हो चुके हैं, वह यह कहते रहे हैं कि अपनी खाने की आदत बदलो, मक्की खाओ, केला खाओ और यू०पी० के एक कांग्रेस के मिनिस्टर ने तो कहा था कि चूहे खाओ। अब इन्होंने भी यही पैटर्न अपनाया है कि किसानों ने बड़ी हिम्मत कर के, मेहनत कर के पैदावार बढ़ा ली तो अब यह कहते हैं कि बीजने का जो पैटर्न है उस को बदल दो, गन्ना मत पैदा करो, कुछ और पैदा करो। अब यदि वह गल्ला ज्यादा पैदा करेगा और गन्ना पैदा नहीं करेगा और कल को फिर जब शुगर की कमी होगी, तकलीफ होगी तो उस को कहेंगे कि गन्ना पैदा करो।

मैं एक और रास्ता बताता हूं जिस से फालतू गन्ना जितना भी है वह सारा का सारा इस्तेमाल हो सकता है और सरकार को फारेन एक्सचेंज की भी बचत हो सकती है बाहर कोई चीज भेजे बगैर। इस गन्ने से अलकोहल प्रोड्यूस करो। अभी ब्राजील में तजुर्बा किया गया है और दुनिया के सांइंटिस्ट्स ने कहा है कि पेट्रोल में अगर अलकोहल मिला कर इस को इस्तेमाल किया जाय तो बहुत फायदेमंद है। उस में इंजन को नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। अलकोहल अगर बनाना शुरू हो जाय तो पेट्रोल जो बाहर के देशों से मंगाते हैं अपने देश में, ज्यादा मिकदार में उस पेट्रोल की कमी को इस से पूरा किया जा सकता है। यह थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए हम खांड को जो उस का भाव था उस से बहुत कम पर बाहर देशों को भेजते थे। उस में भी घाटा उठाते रहे हैं। चीनी के एक्सपोर्ट में हम बराबर घाटा खाते रहे हैं। तो वही अगर जरूरत पड़े, तो अलकोहल बनाने में खर्च कर सकते हैं। अगर उस की कीमत में कुछ थोड़ा सा फर्क हो तो उस में कम्पेन्सेट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि जिन्होंने गन्ना पैदा किया है उन्हें आप प्रोत्साहन दें। जिनका पैसा अभी तक मिला नहीं है उसको आप दिलाने की कोशिश करें। मलाई मलाई तो मिल मालिक खा गए और अब उनकी घिसी हुई मशीनों को ले कर आप माडर्नाइज करने की बात कहते हैं और तीन साल के बाद वे मिल मालिक फिर आ जायें बिना किसी कीमत के—यह बात ठीक नहीं है। आप उन कारखानों को लें, उनको ठीक करें और उनको चलाकर किसानों को जहां गन्ना नहीं बिक रहा है उनकी आप मदद करें। इसी तरह से खण्डसारी वगैरह की जो एलाइड इण्डस्ट्रीज हैं उनको भी आप प्रोत्साहन दें। इस देश में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने

पर चल रही हैं जिसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं उनकी भी ग्राप मदद करें । मुझे उम्मीद है कि मैं ने जो चन्द सुझाव दिए हैं उन पर ग्राप गौर करेंगे । किसानों का जो गन्ने का बकाया है उसको ग्राप दिलायेंगे ग्रौर साथ ही यह बात ग्राप नहीं कहेंगे कि गन्ने की खेती को बन्द करके किसान कोई दूसरी खेती शुरू करें ।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि 53 करोड़ बकाया में से केवल मधुबनी में 50 लाख बाकी है । जिन किसानों ने बैंक से पैसा लिया है उनसे 18 परसेंट सूद कट रहा है इसलिए मधुबनी में जो 50 लाख का बकाया है उस पर उसी तरह से ग्राप सूद दें ग्रौर उसका भुगतान करें जिस तरह से बैंक द्वारा किसानों से सूद लिया जा रहा है । मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें ।

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का ग्राभारी हूं जिन्होंने प्रस्तुत विधेयक पर ग्रपने विचार व्यक्त किए हैं । कुछ सुझाव बहुत ही ग्रच्छे हैं जिनपर मैं ग्रवश्य विचार करूंगा ग्रौर ग्रमल में भी लाने की कोशिश करूंगा ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : बहुत से माननीय सदस्य तो इस समय सदन में उपस्थित ही नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों को पता नहीं रहता कि क्या सदन में चल रहा है, यहां पर ग्राते हैं ग्रौर बोलने लगते हैं । कुछ तो रहते ही नहीं, भाषण देकर चले जाते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : ग्रधिकांश माननीय सदस्यों ने बिल का स्वागत किया है ग्रौर यह कहा है कि जहां तक यह बिल जाता है वहां तक ठीक है । वे कुछ ग्रौर ग्रधिक उपेक्षा करते थे

सही है कि इस बिल का उद्देश्य चीनी

के बहुत सीमित उद्देश्य हैं । कुछ विशेष परिस्थितियों तथा संकट का मुकाबला करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । संकट यह उत्पन्न हो गया कि पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत ग्रधिक जिसके फलस्वरूप चीनी के भाव गए ग्रौर ग्रभी भी गिर रहे हैं । हुए भावों को देखकर ग्रौर चीनी मिलों के पास ग्रभी जो बहुत बड़ा स्टाक पड़ा हुग्रा है उसको देखते हुए चीनी के मिल मालिकों ने कुछ संकेत दिया कि शायद वे चीनी के कारखाने नहीं चलायेंगे इस वर्ष । तो एक समस्या यह थी । दूसरी चीज जिसका बार बार जिक्र किया गया कि 53 करोड़ रुपया किसानों का इन चीनी मिलों पर बकाया है । तो इस विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सीमित उद्देश्यों का एक ग्राडिनेन्स जारी किया गया । इसके तीन उद्देश्य कहे जा सकते हैं । एक—चीनी बनती रहे जिससे इस एसेंशियल कमाडिटी की कमी न पड़ने पाये । दो—जिन किसानों ने गन्ना पैदा कर लिया है उनका गन्ना खेतों में खड़ा न रह जाये । तीन—जो गन्ना पिछले साल सप्लाई किया गया था इस साल सप्लाई किया जायेगा उसका बकाया बहुत ज्यादा न पड़ा रहे । इन तीन उद्देश्यों के बारे में मैं यह दावा कर सकता हूं कि हम को सफलता मिली है । चीनी के कारखाने ग्राज जितने चल रहे हैं, उन की संख्या पिछले वर्ष इसी समय चलने वाले कारखानों के बराबर सी ही है, शायद दो-एक का फर्क है । चीनी बन रही है । — इस का बड़ा प्रमाण यह है कि पिछले वर्ष इस समय तक जितनी चीनी बनी थी, उस से डयोढ़ी-से-ज्यादा इस समय तक बन चुकी है । तीसरा उद्देश्य हमारा यह था कि किसानों का जो गन्ने का बकाया है, उन को उस का भुगतान जल्दी से मिले । इस के सम्बन्ध में भी मुझे यह निवेदन करना है कि जो 53 करोड़ रुपये का बकाया था, उस में ग्रब 20 करोड़ रुपये से ग्रधिक का बकाया नहीं रह गया है ग्रौर इस प्रकार मैं यह दावा कर सकता हूं....

14 hrs.

चौधरी बलबीर सिंह : जो ग्राप कह रहे हैं कि चीनी ड्योढ़ी बनी है, वह ड्योढ़ी नहीं बनी है । है । चीनी पहले भी कारखानेदार उतनी ही बनाते थे, लेकिन दिखलाते कम थे ग्रौर बिना दिखलाई हुई चीनी को ब्लैक-मार्केट में बेचते थे । इस दफा यह चीनी दिखलाई गई है, इस लिये ड्योढ़ी लगती है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह जानकारी ग्राप को हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो ग्रांकड़े हैं, वह यही दिखलाते हैं ।

चौधरी बलबीर सिंह : ग्राप इस की भी इन्क्वायरी करें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : ग्रगर वह चोरी करते थे, तो इस साल भी चोरी करते होंगे ।

चौधरी बलबीर सिंह : इस साल कीमतें कम हैं । पिछले साल तो दुगने दामों पर बिकती थी ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं तो वही बात कह सकता हूं, जिस का हमारे पास कुछ आधार है ।

चौधरी बलबीर सिंह : लेकिन जो हम कह रहे हैं, उस पर भी गौर करना चाहिये ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं—जो इस के तीन उद्देश्य थे, उन को बहुत हद तक पूरा किया जा चुका है । चीनी मिलें चल रही हैं, चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक हुआ है और गन्ने का मूल्य जो बकाया था, वह घट कर बीस करोड़ रुपये के बीच में रह गया है ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : हमारे यहां तो अभी भी 50 लाख रुपया बकाया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप किसी एक मिल का पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ लीजियेगा । हिन्दुस्तान में 300 मिलें हैं, मैं सब का हिसाब ले कर नहीं घूमता हूं ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : हमारे यहां तो एक पाई भी नहीं घटी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, चीनी उद्योग पर जो संकट आया है, इस के लिये माननीय सदस्यों ने दो-तीन सुझाव दिये हैं । एक सुझाव तो यह दिया गया है कि चीनी का निर्यात किया जाना चाहिये । आप शायद जानते होंगे—एक इन्टरनेशनल शुगर एग्रीमेन्ट है, जिस में भारत भी एक सिगनेटरी है । उस एग्रीमेन्ट के अनुसार अधिक से अधिक जितनी चीनी निर्यात की जा सकती है, उतनी हम निर्यात कर रहे हैं । पिछले साल साढ़े छः लाख टन चीनी निर्यात करने का कोटा था, वह निर्यात की जा रही है, उस का एग्रीमेन्ट हो चुका है । इस वर्ष भी हमारा जितना कोटा है, उसको पूरा निर्यात करेंगे ।

दूसरा सुझाव यह दिया गया कि एक्साइज कम कर दी जाय । इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यदि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जायगी, तो उस का कोई लाभ न तो किसानों को मिलने वाला है और न उद्योग को मिलेगा, वह फिर कन्ज्यूमर को ही जायगा और चीनी का मूल्य उतना ही कम हो जायगा । यदि 20 रुपये क्विंटल घटा देंगे तो सम्भवतः 15 या 20 रुपये के बीच में चीनी का मूल्य और गिर जायगा । इस का दुष्परिणाम यह होगा कि जो गुड़ और खाण्डसारी की यूनिटें हैं, जो इस समय भी संकट में हैं, वे बिलकुल बन्द हो जायेंगी । इस लिये चीनी का मूल्य और ज्यादा गिराने की स्थिति में नहीं हैं ।

तीसरा नुस्खा—जो कुछ लोग बहुत ही अचूक नुस्खा मानते हैं—वह यह है कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । इस सम्बन्ध में म सरकार की नीति को स्पष्ट करना चाहता हूं—मैंने भी इस सम्बन्ध में पहले कहा है और प्रधान मंत्री जी ने भी स्वयं इस सदन में कहा है कि हम राष्ट्रीयकरण करने के लिये ही राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, लेकिन यदि आवश्यकता होगी तो राष्ट्रीयकरण करने में भी संकोच नहीं करेंगे । अब प्रश्न यह उठता है कि आज की स्थिति में क्या चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना एक अच्छा हल है ? हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं—इन चीनी मिलों की परफार्मेन्स के बारे में—तीनों सैक्टर के । और इन तीनों सैक्टर्स का परिणाम यह निकलता है कि सब से अधिक किसानों का पैसा उन मिलों पर बकाया है जो सरकारी सेक्टर में हैं । उस के बाद किसानों का पैसा उन मिलों पर बकाया है जो कोआप्रेटिव सेक्टर में हैं और सब से कम पैसा बकाया है निजी सेक्टर की मिलों पर । यह क्यों है, इसका तो आप विचार करिये । आप जो राष्ट्रीयकरण का नुस्खा बता रहे हैं उस नुस्खे के परिणाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो नुस्खा बता रहे हैं उस को आंख बंद कर के तो नहीं माना जा सकता । अब मैं आपको आंकड़े दे कर बताता हूं ।

मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूं । उत्तर प्रदेश में 86 मिलें हैं । 46 मिलें प्राइवेट सेक्टर में, 14 मिलें कोआप्रेटिव सेक्टर में और 26 मिलें पब्लिक सेक्टर में । प्राइवेट सेक्टर की मिलों पर 17.61 करोड़ रुपये, कोआप्रेटिव सेक्टर की मिलों पर 15.80 करोड़ रुपये और पब्लिक सेक्टर की मिलों पर 14.70 करोड़ रुपये बकाया हैं । प्रति मिल औसत लगाया जाए तो यह आता है—प्राइवेट मिल पर 38 लाख रुपये, कोआप्रेटिव मिल पर साढ़े इकतालीस लाख रुपये और पब्लिक सेक्टर की मिल पर 56.56 लाख रुपये ।

ये आंकड़े दे कर मैं नहीं कहता कि इनका अच्छा स्वरूप नहीं बन सकता है । मैं ने स्वयं कहा है कि जहां राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस होगी, जहां राष्ट्रीयकरण उपयोगी मालूम होगा, वहां राष्ट्रीयकरण किया जाएगा । अगर यह मान लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कर के ही चीनी उद्योग की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, कम से कम इन आंकड़ों से तो वह बात सिद्ध नहीं होती है ।

श्री महीलाल (बीजनौर) : आप किसानों का एडवायजरी बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं ? उनका बोर्ड बना कर उस में उन को रखें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : कोआप्रेटिव मिलों के बारे में भी मैं ने आपको बता दिया है (**व्यवधान**) । यह मैं किसी की नेकनामी और बदनामी की बात नहीं करता हूं, जो वस्तुस्थिति है, उस को मैं ने आप के सामने रख दिया है ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इन मिलों के बारे में क्या होने वाला है ? बहुत से माननीय सदस्यों को यह शंका है कि इन मिलों पर बहुत-सा पैसा खर्च कर के सरकार इन को तीन वर्षों के बाद फिर से लौटा देगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ऐसा इरादा नहीं है । इन मिलों को लेने के बाद हरेक की स्थिति पर विचार किया जायगा कि किन कारणों से ये मिलें इतनी खराब दशा में हैं। हम देखेंगे कि जिन मिलों को चलाना उचित नहीं है, उन मिलों का बंद भी किया जा सकता है । अगर कोई मिल ऐसी है, जिस के बारे में स्वयं उस मिल का मालिक कोई योजना बना कर रखता है कि वह इस ढंग से उस को मोडरेनाइज करेगा और उसका कोई टाइम बाऊण्ड प्रोग्राम है और उस के पास पैसे की व्यवस्था है और ये सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं तो हम उस मिल को उसे लौटा भी सकते हैं । लेकिन अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बड़े पैमाने पर सरकार को उस पर पैसा खर्च करना पड़ा है तो फिर हम उसको लौटाने वाले नहीं हैं । जो थोड़ी बहुत मरम्मत वगैरह हम करेंगे या जो किसान का बकाया अदा करेंगे वह मिल के ऊपर बतौर कर्जा माना जाएगा और यह उनको कोई वरदान स्वरूप नहीं दिया जाएगा बल्कि मय सूद के यह राशि उन से वसूल की जाएगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह बहुत ही मीठा वरदान दिया जा रहा है । अगर स्थिति मीठे वरदान की होती तो ये आज दौड़ दौड़ कर हाई कोर्टस् में न जाते और दुनिया भर की सिफारिशें न लाते और पैरवी न करते बल्कि यह कहते हम से कि ले लीजिये । हम जब ले रहे हैं तो ये हाई कोर्ट में जा रहे है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि हम कोई रियायत करने वाले नहीं हैं । जो कुछ भी खर्चा होगा वह उन से मय सूद के वसूल किया जाएगा । बड़े पैमाने पर अगर कुछ काम करना पड़ा तो इस के पहले कि हम उस मिल का राष्ट्रीयकरण भी कर लेंगे, फिर उस के बाद उस का स्वामित्व भी ले लेंगे । जहां यह महसूस होगा कि बड़े पैमाने पर मार्डर्नाइजेशन वगैरह करके ही काम चल सकता है, बिना उसको किए काम नहीं चल सकता है वहां पर उस की मिल्कियत ले ली जाएगी । कई पासिबिलिटीज हैं और किसी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है । किसी मिल के बारे में क्या प्रबन्ध होगा यह उस मिल को लेने के बाद, अपने आदमियों को वहां नियुक्त करने के बाद, उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही तय होगा और हर मिल के बारे में अलग अलग निर्णय किया जाएगा ।

चौधरी बलबीर सिंह : डिप्रिसिएशन के बारे में भी तो बता दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : वे सब बातें देखी जाती हैं। यह भ्रम दूर हो जाना चाहिये कि किसी प्रकार से उनके फायदे के लिए यह सब काम किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : जो वे कमाई कर चुके हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जिन लोगों के जमाने में, जिस शासन में उन्होंने कमाया उससे जवाब तलब करें जब से इस हकूमत ने चार्ज लिया है तब से उनको कमाने का मौका नहीं मिला है। आप उनकी तुलना हम से क्यों करते हैं । उनके जमाने में तो पता नहीं क्या क्या हुआ है (व्यवधान) । बड़ी मुश्किल बात है कि हाई कोर्ट में जाने की इजाजत भी आप उनको नहीं देना चाहते हैं ।

श्री महीलाल : 25 परसेंट किसान का गन्ना मिलों में जा रहा है और 75 परसेंट खंडसारी में जा रहा है । खंडसारी के बारे में भी कोई उपाय होना चाहिये । उसके बारे में भी तो बताएं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : इस समय बड़ी शूगर मिल्ज के अधिग्रहण के विषय पर ही हम विचार कर रहे हैं । उसके लिए आप किसी दूसरे अवसर की तलाश करें ।

श्री बलबीर सिंह : अलकोहल की बात भी बता दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं कल इस के बारे में काफी विस्तार से बता चुका हूं । सारांश में आज भी बता देता हूं । देश में जो अलकोहल बन रहा है वह गन्ने से न बन कर शीरे से बन रहा है और वह अलकोहल इतना अधिक है कि उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है । अभी देश में अलकोहल की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मोलैसिस से बन रहा है । उसकी इकोनोमिक्स को देखना पड़ेगा । मैंने जैसा कहा है उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया था कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कोई भेदभाव किया गया है या किया जाता है । मैं फिर निवेदन कर दूं कि पुरानी बातें याद आया करती हैं । इस सरकार ने कोई भी फैसला ऐसा नहीं किया जो उत्तर और दक्षिण के बीच भेदभावपूर्ण कहा जा सके । जो भेदभावपूर्ण व्यवहार था उस को इस सरकार ने समाप्त किया है । आज कोई भी कानून, कोई भी मूल्य ऐसा नहीं है जो सारे देश में समान रूप से लागू न हो ।

SHRI B. RACHAIAH (Chamarajanagar): Prior to de-control of sugar, Government decided to build up a buffer stock for export and also for internal consumption. Now when the STC has called for tenders from small sugar mills, the lowest tender was from the Maharashtra Sugar Federation. After some pressure, Tamil Nadu and Andhra Pradesh have been given. But Karnataka was not in the liist,

[Shri B. Rachiah]

though Karnataka has also given a tender which was the lowest. That is why I say that Karnataka Sugar mills have been singled out for discrimination. And why don't you take the measures to take out at least one-third of the sugar that is in stock in the mills and build up a buffer stock so that the financial burden of the sugar mills can be relieved of?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमान्, यह आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि इस तरह के ट्रेंडर के झगड़े के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि नार्थ या साउथ को हैं। कोई उस के विशेष कारण होंगे जिस क लिये दूसरा मंत्रालय जवाबदेह होगा, मैं उस का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो नियम बन रहे हैं उन में कोई भेदभाव नहीं है, मूल्य निर्धारित होते हैं उस में कोई भेदभाव की बात नहीं है।

SHRI B. RAICHAIAH: The lowest tender has been accepted so far as the Maharashtra Sugar Federation is concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not in a position to deal with that.

श्री भानु प्रताप सिंह : इस बात पर आपत्ति की गई कि इन मिलों का मेनेजमेंट लेने के लिये कमपेंसेशन क्यों दिया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अपने देश में संविधान की मान्यता है उस के अनुसार कुछ न कुछ कमपेंसेशन देना हमारे लिये लाजिमी है, यह हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया है। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो कमपेंसेशन है वह केवल नाम मात्र का है। जो फैक्ट्री एक टन गन्ना प्रति दिन पैराई करेगी महीने भर तक उस को 1 रु0 कमपेंसेशन के रूप में मिलेगा। अब यह नाम मात्र केवल जो कानून की आवश्यकता है उस की पूर्ति के लिये रखा गया है। और इस में भी एक सीलिंग लगा दी गई है कि 1,250 रु0 प्रति मास से अधिक नहो होगा कमपेंसेशन।

14.17 hrs.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN *in the Chair*]

एक आलोचना यह की गई कि इस में किसानों के हितों की रक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा विधेयक जो मूल रूप से किसानों के हितों के लिये ही लाया गया है उस की भी ऐसी आलोचना होगी। उन के गन्ने की पैराई हो, उन के गन्ने का मूल्य मिलता —यहीं इस में व्यवस्था की गई है। अब हमारे कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन के लिये यह कहा जा सकता है कि वह यह भी चाहते हैं कि चीनी सस्ती रहे और यह भी चाहते हैं कि गन्ने का मूल्य ऊंचा रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह असम्भव है। जिन माननीय सदस्यो ने गन्ने की कीमत कम होने की आलोचना की है उन से मैं कहना चाहता हूं कि वह बैठ कर हमारे साथ हिसाब लगायें और अगर वह इसके के लिए तैयार हों कि चीनी का भाव फिर 3 रु0 50 पैसे हो जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीच का खर्चा निकाल कर सारेका सारा किसान को दिया जा सकता है। लेकिन जब चीनी का भाव 5 पैसे बढ़ने को होता है उस समय यही सदस्य सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं। तो शिकार के साथ भी दौड़ें और शिकारी के साथ भी दौड़ें, यह दोनों काम नहीं हो सकते। या तो आप शहर में रहने वाले कुछ लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, और या किसानों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। हम ने तो अब डी-कंट्रोल कर के सीधा हिसाब कर दिया है, कोई भी माननीय सदस्य आकर मुझ से समझने की कोशिश करें, केवल कन्वर्जन कास्ट, एक्साइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, गवर्नमेंट का परचेज टैक्स निकालकर अधिक से अधिक जो दिया जा सकता है, वह दिया जा रहा है। अगर आप ऊंची कीमत चाहते हैं तो आप को पैरवी करनी चाहिये कि जो शहरी जनता को चीनी मिल रही है, उस की कीमत बढ़ाइ जाये, परन्तु यह कहने का साहस किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया।

श्री हुकम देव नारायण यादव : हम तो शुरू से कहते आये हैं कि चीनी का दाम बढ़ाइये।

श्री भानु प्रताप सिंह : इसलिये सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये।

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): I was asking how many undertakings have been taken over so far.

श्री भानु प्रताप सिंह : जो माननीय सदस्य ने कहा वह बात भी सही है, उस के कारण भी थोड़ा समय लगता है। कुछ फैक्टरियों को आदेश दिये जा चुके है, लेकिन वह अभी टेक-ओवर नहीं हुई हैं। उस का कारण मैं बता भी नहीं सकता हूं, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। कुछ के आदेश अभी दिये जा चुके हैं, लेकिन कुछ कठिनाई अभी आ रही हैं, जैसे किसी फैक्टरी वाले ने कहा कि मान लीजिये उस पर 1 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन वह आ कर अगर यह पेश करता है कि उस को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से 1 करोड़ के लगभग हीं मिलने वाला है और वह उस के कागजी प्रमाण प्रस्तुत करता है तो फिर हम को सोचना पड़ता है कि जब सरकार को ही इसको रुपया देना है तो इस का बकाया है,लेकिन तत्काल उस के निर्णय में भी कठिनाई होती है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के एक्साइज विभाग से उस की पूछताछ करनी होती है कि वाकई में बकाया है या नहीं।

MR. CHAIRMAN: The question is how many have been taken over. You can given an idea.

श्री भानु प्रताप सिंह : 7 फैक्टरियों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, there is an amenedment by Shri Vinayak Prasad Yadav for circulation of the Bill for eliciting opinion. The question is:

"That the bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1978."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the temporary taking over, in the public interest, of the management of certain sugar undertakings in certain circumstances be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (*Vesting of management of a sugar undertaking in Central Government*).

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): I beg to move:

Page 4, line 1,—

for "three" *substitute* "five" (6)

Page 4, line 12, --

for "three" *substitute* "five" (7)

Page 4, line 28, —

for "three" *substitute* "five" (8)

Page 4, line 31, —

for "three" *substitute* "five" (9)

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): I beg to move:

Page 3, line 1, --

for "ten" *substitute* "five" (20)

Page 3, line 25, —

after "dues" *insert* "with ten per cent interest" (21)

Page 4, —

for lines 1 to 12, *substitute*—

"Government shall be in force for ever." (22)

Page 3, line 25, --

after "dues" *insert* "with fifteen per cent interest" (37)

SHRI DAJIBA DESAI: I beg to move:

Page 3, --

for lines 19 to 32, *substitute*—

"time, the Central Government shall declare by notification that the management of such undertaking shall vest in the Central Government on and from such date as may be specified in such notification." (24)

Page 3, line 34, --

omit "clause (a) of" (25)

Page 3, lines 45 and 46; —

omit "clause (b) of sub-section (2) or" (26)

Page 4 line 12, —

for "three" *substitute* "five" (27)

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): Madam Chairman, I may be permitted to make some observations as this is the first opportunity given to me to speak on this Bill. I feel that this Bill is not what it appears to be actually. It is a highly politically motivated Bill.

[Shri B. K. Nair]

It is not a mere co-incidence that the Ordinance in question was issued on 9th November, three days after Chikmagalur election. The constituents of the ruling party, many of the functionaries of the ruling party have been talking loud about nationalisation of several industries. Some have gone to the extent of saying that all the major industries in the country, textile, cement, aluminium everything should be nationalised. There was one Minister who said that the Tata Steel should be nationalised. At the same time, the public used to say that it is all meant to bluff the people, trying to collect money and make political capital. This Bill, I feel, fits into that sort of definition. The Minister says that it is intended to serve the interests of the various constituents or sections of the public. What happens is, the mill owners are very much being looked after. The mill owners are in need of a paid holiday, after working so hard. From Rs. 500 to 1250 a month is going to be paid to them. This industry is passing through a crisis. There are times in which many industries come to this stage. The industrialists would like that somebody would take over the mills, restore the conditions and give them it back to them. The Janata Party Government has come to their rescue. For three years or so, probably the mills will be looked after and after that there is every assurance that they will be returned to the owners.

With regard to other parties, the cane growers, how are they to be looked after? The other day the Uttar Pradesh Mill Owners' Association has come out with a statement that it will not be prepared to pay more than ten rupees a quintal of cane whatever the Government may do. That is the position. The Government cannot do anything. Actually the cane growers will continue to be at the mercy of the mill owners. The Minister was just now saying that most of the mills are under public control, under cooperatives or Government and that it is only a minority of mills that are under private ownership. With regard to arrears also he said that out of Rs. 53 crores, a substantial amount is due from the Government undertakings.

MR. CHAIRMAN: You will have to be brief. Your party has already exhausted the time allotted for it.

SHRI B. K. NAIR: I look upon this Bill as a political weapon to serve the bye-elections in North India, that were then coming viz., Samastipur and after the purpose has been served, the Government is keeping mum. I put a question as to how many undertakings were taken over since the ordinance was issued, which was a month before. Even now the Government has not made up its mind. It is just a wishy-washy thing. It is just to bluff the people, the public, the voters of North India. There was no earnest purpose behind this Bill, It would be clear from an examination of the statement of objects and reasons. In one context the Minister says that Rs. 53 crores are the arrears to be paid and in another context. he says that it will involve an expenditure of Rs. 50 lakhs by way of loan assistance towards sugarcane dues. There is so much disparity. Was it for the purpose of paying Rs. 50 lakhs that all this halla-gulla was made? It is all just making a noise, as if the Janata Party Government is going to be revolutionary about nationalisation of mills. The object was merely to serve the purpose of the bye-elections and nothing more. The parties worst affected are the workmen. The Custodian-General are given absolute powers in regard to setting aside the laws, even the minimum wages are not being paid. Look at the Schedule, even the provisions of the Minimum Wages Act can be set aside. There is no guarantee of minimum wages, no protection under standing orders or under the Industrial disputes Act.

MR. CHAIRMAN: The Labour Minister will look into that.

SHRI B. K. NAIR: He must have seen it.

The Custodian is being given the widest powers in dealing with employees. There is no security of employment, Clause 11 is supposed to define the powers of the Custodian. He is being given the absolute powers. It says:

"If the Custodian or Custodian-General is of opinion that any contract of employment entered into by any owner or member of a notified sugar undertaking or its agent in relation to the said undertaking, at any time before the date of vesting is unduly onerous, he may, by giving to the employee one month's notice in writing or the salary or wages for one month in lieu thereof, terminate such contract of employment."

It says, "at any time it may be 10 years ago or 5 years ago, any award, any settlement, any agreement, can be torn to pieces with one month's notice or paying one month's wages or salary and an employee can be sent out. Whereas clause 10 concerns itself with regard to contractual obligations of the mill. As for as they are concerned, the limitation is only for one year but in respect of workmen, it extends to an unlimited period. There is no period of restriction. Any agreement can be torn to pieces. By giving one month's notice or by paying one month's wage, the entire contractual obligation can be discharged and an employee can be sent out.

This Bill, in my opinion, is only a political weapon. The Janata Party wanted to fool the people. That is all.

श्री भगत राम : सभापति महोदय, देश के गन्ना उत्पादक किसानों में बहुत रिजेंन्टमेंट पाया जाता है । एक तो उनका जो गन्ना है वह बिक जायेगा—इसकी कोई गारंटी नहीं है । दूसरे जो गन्ने की कीमत है वह भी पूरी नहीं मिल रही है। पिछले साल साढ़े 13 रुपए प्रति क्विटल का भाव पंजाब में किसानों को मिलता रहा लेकिन इस साल सरकार ने एनाउन्स किया है कि 10 रुपए प्रति क्विटल का भाव मिलेगा । लुधियाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने यह हिसाब निकाला है कि गन्ना उत्पादन करने में साढ़े 14 रुपया क्विटल का खर्चा ग्राता है । इसीलिए किसान 15 रुपए क्विटल का भाव मांग रहे है । ग्रफसोस की बात यह है कि सेन्टर की ग्रोर से स्टेट्स को हिदायत दी गई है कि केन्द्र ने जो गन्ने का भाव एनाउन्स किया है उससे ग्रधिक भाव देने के लिए राज्य सरकारें मिलों को बाध्य न करें। इसलिए किसानों में बड़ा रिजेंटमेंट है ।

ग्रभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कुल 53 करोड़ के एरियर्स हैं जिस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा था । यह ग्रच्छी बात है कि एरियर्स पर ब्याज देने की बात कही गई है ।

इसके साथ ही एक बात यह कही गई है कि जहां पर 10 परसेंट से ज्यादा एरियर्स होंगे उन्हीं मिलों को सरकार ग्रपने कब्जे में लेगी । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 10 परसेंट एरियर्स की सीमा बहुत ज्यादा है, जिन मिलों के जिम्मे 5 परसेंट एरियर्स भी हों उन मिलों को भी टेक-ग्रोवर करने का प्रावधान होना चाहिए । 5 परसेंट से भी करोड़ों रुपए बन जाते है । साथ ही एरियर्स पर 5 परसेंट का इन्ट्रेस्ट मिल वालों से ले कर किसानों को दिया जाना चाहिए। किसानों की बड़ी मेहनत की कमाई का यह पैसा है । इसलिए उनको 15 परसेंट का ब्याज मिलने का पूरा हक है ।

मंत्री जी ने यह भी कहा है कि देश में चीनी का कंजम्पशन कम है इसीलिए चीनी विदेशों को भेजनी पड़ती है । हमारे देश में ग्रभी सिर्फ 3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कंजम्पशन है। गुड़ वगैरह मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 21 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर-ईयर होता है । जबकि यूरोप में 42 से 45 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर-ईयर कंजम्पशन है ।

एक बात यहां पर यह कही गई है कि किसान शिकारी है ग्रौर मजदूर शिकार है—लेकिन ग्रसल बात यह है कि ये दोनों ही शिकार हैं ग्रौर मिल मालिक शिकारी है । मैंने ग्रमेंण्डमेन्ट पेश किय है....

MR. CHAIRMAN: I think you will have to conclude now Mr. Bhagat Ram. I am sorry; there is no time. I am

[Mr. Chairman]

calling the Minister. You have spoken in the general discussion already, and you have spoken on your amendments. Please resume your seat.

श्री भानु प्रताप सिंह : सभापति महोदया, मैं कोई भी अमेण्डमेंट स्वीकार नहीं करता हूं और यदि आप इजाजत दें तो मैं इन पर प्रकाश भी डाल सकता हूं ।

मेरे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जनता पार्टी राष्ट्रीयकरण की बहुत बात करती थी, लेकिन अब उस का इरादा राष्ट्रीयकरण का नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने का है । मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत-ओपीनियन को छोड़ कर जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की थी कि वह इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी । परन्तु जिस दल के वे सदस्य हैं, उस दल ने जरूर यह घोषणा की थी कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और उस घोषणा के बाद कम से कम 8 वर्ष तक वे सत्ता में रहे, इस बीच में उन्होंने उस का नाम तक नहीं लिया लिया । . . . . .

SHRI B. K. NAIR: I think he is referring to me. I had said 'functionaries of the Party' and not 'the Party'.

श्री भानु प्रताप सिंह : 8 वर्ष तक उन को राष्ट्रीयकरण का अवसर नहीं मिला । वास्तव में उन के दल की जो नीति रही है, वह समझते है कि जनता पार्टी की भी वही नीति है । जनता पार्टी इस तरह की घोषणायें नहीं करती है । जनता पार्टी ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अपनी स्थिति को अनेक बार स्पष्ट किया है ।

दूसरी आलोचना यह की गई कि इस में लेबर-लाज आदि के निलम्बन की व्यवस्था है । मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है । लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं—संकट के समय में हम को हर सूरत में मिलें चलानी हैं—ऐसी स्थिति के लिये यह व्यवस्था रखी गई है, मगर इस की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, यदि जरूरत नहीं होगी तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा । इन व्यवस्थाओं को उसी तरीके से रखा गया है, जैसे नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के मामले में यह व्यवस्था रखी गई थी । इस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम को मजदूरों से पूरी हमदर्दी है, उन के अधिकारों का किसी तरह से हनन नहीं होने दिया जाएगा ।

SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): I am sorry to interrupt...

MR. CHAIRMAN: Give him a chance to finish.

श्री भानु प्रताप सिंह : महोदया, मैंने स्वयं जब इस को देखा तो मैंने इस की जांच की और मुझ को यह बतलाया गया । आप जानती हैं कि इस की ड्राफ्टिंग ला-डिपार्टमेंट से होती है—मुझ को बतलाया गया कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन बनाते समय भी जब उन का अधिग्रहण किया गया था तो उस समय भी इस की व्यवस्था की गई थी । मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि मजदूरों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा । हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उन को मिनिमम वेजेज न दिया जाए—मेरा यह आश्वासन मैं समझता हूं—काफी होना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Now, you want to say something on this point, before he goes to the next point about pricing?

SHRI K. RAMAMURTHY: I don't think there are specific provisions in the Textile Mills (Take-over) Act and other Acts, but it has been specifically mentioned in this Sugar Undertakings Bill that all labour laws can be suspended.

श्री भानु प्रताप सिंह : महोदया, मेरे सामने यह टैक्सटाइल कारपोरेशन . . .

SHRI K. RAMAMURTHY: The same Government has passed two Bills—in regard to Britannia undertaking and Bolani Oars. There is an assurance in the Bill itself that the working conditions of the workers will continue. So what I want to ask the Hon. Minister is why, in this specific Bill in regard to sugar undertakings they want to suspend all the labour laws.

MR. CHAIRMAN: You can consult your colleague the Labour Minister: he would know.

श्री भानु प्रताप सिंह : इसमें आलरेडी यह प्रावीजन है—

'Power of the Central Government to make certain declarations in relation to sick textile mills...'

उस में यह सभी चीजें भाती हैं जो इस में दोहराई गई हैं ।

SHRI K. RAMAMURTHY: Suspension of labour laws has not been included in the case of Brittania Industries as well as in the case of Bolani Ores. Why have you mentioned this only in the Sugar Undertakings Bill? Perhaps you want to make concessions to the employers of sugar industries.

श्री भानु प्रताप सिंह : देखिये टैक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज का मुकाबला ब्रिटेनिया से करना बेकार है । वह चले या न चले, रुक जाए, उस से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

SHRI K. RAMAMURTHY: The working conditions are the same. He did not, perhaps, understand the implications of Clauses 7 and 11. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Ramamurthy, will you please resume your seat? Again and again you are repeating yourself, and he is repeating himself. Does it help the House? You have made your point. The Minister is making his points. I cannot force the Minister to say something.

श्री भानु प्रताप सिंह : गन्ने के मूल्य की अदायगी के बारे में यह सुझाव रखा गया है कि दस परसेंट के बजाय पांच परसेंट कर दिया जाए । जब हम इस बिल को पारित करते हैं तो इस का अर्थ यह नहीं होता है कि राज्य सरकारों के पास जो कायदे-कानून हैं या ताकत है, उन को हम निलम्बित करने जा रहे हैं या खत्म करने जा रहे हैं । जिस प्रकार से लैण्ड रेवेन्यू से वसूली कर ली जाती थी उसी प्रकार के सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास बने रहेंगे । जो रकमें दस प्रतिशत से नीचे हैं उन की वसूली के अधिकारों का प्रयोग होता रहेगा । यह तो हम अन्तिम अस्त्र के रूप में ले रहे हैं । इस का अर्थ यह है कि जब उस ने सीमा पार कर ली है तो इसका उपयोग किया जा सकता है । यह जो दस प्रतिशत की सीमा रखी गयी है यह ठीक है, इसे नीचे उतार कर पांच या छ: परसेंट पर लाना ठीक नहीं है । वसूली के लिये राज्य सरकार के पास जो अधिकार हैं उन का प्रयोग होता रहेगा, उन के द्वारा वसूली के लिये कौशिश होती रहेगी । इसलिये मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Nair, are you pressing your amendments?

SHRI B. K. NAIR: I had suggested two more amendments—deletion of Clauses 7 and 11 and deletion of the Schedule...

MR. CHAIRMAN: You cannot raise it at this stage. Now please tell me whether you are pressing your amendments to the vote...

SHRI B. K. NAIR: I am not pressing. I would like to withdraw my amendments, Nos. 6 to 9.

Amendments Nos. 6 to 9 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhagat Ram.

SHRI BHAGAT RAM: I am pressing them.

MR. CTAIRMAN: I shall now put amendments Nos. 20, 21 and 22, together, to the vote of the House.

Amendments Nos. 20 to 22 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dajiba Desai.

SHRI DAJIBA DESAI: I am not pressing my amendments, Nos. 24 to 27. I want to withdraw them.

Amendments Nos. 24 to 27 were, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: Amendment No. 37. Mr. Bhagat Ram.

SHRI BHAGAT RAM: I am pressing.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 37 to the vote of the House.

Amendment No. 37 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 was added to the Bill.

CLAUSE 5 (Appointment of Custodian)

SHRI A. ASOKARAJ (Perambalur) : I beg to move :

Page 5, line 17,

omit "an individual or" (12)

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): I beg to move :

Page 5, lines 17 and 18, and wherever they occur,—

for "an individual or a body of individuals or a Government company"

substitute—

"a Board cosisting of the representatives of theCentral Government and the representatives of the workers in the concerned sugar undertakings" (13)

Page 6, line 15, and wherever they occur.—

for "Central Government" *substitute*—

"President of India" (14)

SHRI DAJIBA DESAI: I beg to move :

Page 5, line 17,—

for "an individual or a body of individuals"

substitute "a body of sugarcane farmers" (28)

Page 5, line 23,—

omit "an individual or" (29)

Page 6, line 17,—

for "body of individuals"

substitute "body of sugarcane farmers" (30)

*SHRI A. ASOKARAJ (Perambalur): Madam Chairman through my Amendment to Clause 5 of the Sugar Undertakings (Taking Over of the Management) Bill, I would like to say a few words. On 13th of this month there was the announcement over the All India Radio that notice of intention of taking over the management by the Government has been sent to 160 sugar undertakings. I am unable to understand the efficacy of giving such advance intimation of the Government's intention to take over the management especially to those who are known for evading the dues to the sugarcane cultivators. I apprehend that by the time the Government decide to take over there will be only empty halls of the factories the managements would not leave a small screw for the Government to take over. The Government would be following the footsteps of sugarcane cultivators. I would like the hon. Minister to clarify this step of the Government.

There should not be any delay in the crushing of sugarcane. If crushing is inordinately delayed, the losers will be the sugarcane cultivators. All the crushing should be completed in the crushing season. The arrears due to the cultivated should be paid by the millowners. When the nationalised banks and private sector banks are competing with each other to give financial assistance to the sugar-mill owners, why should the Government come forward to take over the management?

It is said that this step of taking over the management is in fact a protective measure for the sugarcane cultivators. I wonder how far this is going to be a real help to the harassed cultivators. The mill-owners are being helped in the matter of exports also. The State Trading Corporation comes to their rescue. Even here the loss incurred by them in the exports is being replenished by the Government's subsidy.

*The original speech was delivered in Tamil.

It is common knowledge that sugar lobby is very powerful in our country. It is a consequence of the hobnobbing of the sugar magnates with the politicians that the recommendations of Bhargava Commission have not yet been implemented. On the other hand, they are being helped in doses. The other day, our Food Secretary, Shri R. Balasubramaniam, said that Sampath Committee recommendations in the matter of giving incentives for the establishment of sugar mills would not be implemented by the Government. But, before the ink dries, there is another announcement that more sugar mills would be set up in Madhya Pradesh. Would the Minister explain the causes for this *volte face*?

I have given the amendment because of my apprehension that an 'individual' to administer a Mill would not be sufficient. In fact, he will be liable to commit the same mistakes committed by the erstwhile management. I suggest that there should be a Board of Directors for administering the sugar-mill if it is to be restored to become a productive unit.

With these words I appeal to the Minister to accept my amendment.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay-South-Central) : So far as my amendment No. 13 is concerned, it arises out of the constitutional obligation under Art. 43A. We have passed that particular Article. It says:

"The State shall take steps, by suitable legislation or ini any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry."

So far as this constitutional obligation is concerned, this is a very appropriate time that instead of appointing your custodians, the individuals, or body of individuals or Government companies, you should kindly follow this provision which is embodied in Art. 43A.

Then, Madam, there is another amendment—Amendment No. 14—and I have stated that instead of putting in the expression 'Central Government' you should put in 'President' because under Article 77, sub-Clause (A), all executive action of the Government shall be expressed to be taken in the name of the President.

Therefore, actions cannot be taken in the name or in the expression of the 'Central Government'. These are two of my amendments which arise out of the constitutional obligation which, I submit, the hon. Minister will do well in accepting. Otherwise we will be passing the Bill but iti will be challenged in the court in due course.

MR. CHAIRMAN: Shri Dajiba Desai. He is not here. I shall put his amendments.

Amendment os. 28 to 30 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Mr. Asokaraj, are you pressing your amendment?

SHRI A. ASOKARAJ: No. I am not pressing my amendment. I want to withdraw my amendment No. 12.

Amendment No. 12 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kamble, are you pressing your amendments?

SHRI B. C. KAMBLE: Yes, Madam.

MR. CHAIRMAN: Is the Minister accepting his amendment?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Constitutionally, it will be challenged. There will be a procedural difficulty.

MR. CHAIRMAN: I am again asking him. Are you pressing your amendments, Mr. Kamble?

SHRI B. C. KAMBLE: Yes, Madam.

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने दो प्वाइंट उठाये हैं, एक तो कांस्टीट्यूशनल प्राविजन की बात कही है और दूसरी यह कि प्रेजीडेंट को भी अधिकार होना चाहिये ।

जहां तक कांस्टीट्यूशनल प्रश्न है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारा लीगल, जो ला-डिपार्टमेंट है, उस ने इस को अच्छी तरह से देख लिया है और बिल चेलेन्ज होगा तो वह कोर्ट के सामने पेश होगा और गलत होगा तो स्ट्राइक डाउन हो जायेगा । परन्तु हमारा विश्वास है कि यह ठीक है और इसलिये इस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । इस का फैसला कि कांस्टीट्यूशनली ठीक है या नहीं, यह कोर्ट के सामने होगा ।

जहां तक प्रेजीडेंट की बात कही गई है, उस की आवश्यकता नहीं है, केवल उस में समय लगेगा और उस से कोई लाभ नहीं होने वाला है । प्रेजीडेंट भी आखिर गवर्नमेंट के मश्विरे पर ही निर्णय लेते हैं इसलिये केवल एक प्रोसीजरल डिफिकल्टी पैदा होती है, उससे वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: I shall put amendment Nos. 13 and 14 to the vote of the House.

Amendment Nos. 13 and 14 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—*Power of Central Government to make certain declarations*

MR. CHAIRMAN: I think there are amendments. Mr. Kamble.

SHRI B. C. KAMBLE: I move:

"Page 6, lines 45 and 46,—

omit "shall not apply or" (15)

Page 7, line 1,—

after "or omissions" *insert*—

"Without detriment to the rights and interests of workers" (16)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dajiba Desai. He is not here. Mr. Bhagat Ram. You move your amendments.

SHRI BHAGAT RAM: I move:

"Page 7,—

omit lines 14 to 18" (23)

MR. CHAIRMAN: Are you accepting these amendments?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: No.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 15 and 16.

SHRI B. C. KAMBLE: I am pressing my amendments.

MR. CHAIRMAN: One at a time will be put. Do you want to press?

SHRI B. C. KAMBLE: Yes, Madam. Let him withdraw the clause suspending the agreement. Amendment 15 relates to the Schedule. I want a division on amendment no. 16.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 15 to the vote of the House.

Amendment No. 15 was put and negatived.

15 hrs

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 16 of Shri B. C. Kamble, to clause No. 7, to the vote of the House.

The question is:—

"Page 7, line 1, —

after "or omission" *insert*—

"without detriment to the rights and interests of workers".". (16)

The Lok Sabha divided:

AYES

Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Asokaraj, Shri, A.
Banatwalla, Shri G. M.
Barman, Shri Palas
Bhagat Ram, Shri
Bhattacharya, Shri Dinen
Bheeshma Dev, Shri M.
Bonde, Shri Nanasahib
Burande, Shri Gangadhar Appa
Chandrappan, Shri C. K.
Chettri, Shri K. B.
Dasappa, Shri Tulsidas
Desai, Shri Hitendra
Kadam, Shri B. P.
Kamble, Shri B. C.
Kolur, Shri Rajshekhar
Kosalram, Shri K. T.
Lakkappa, Shri K.
Meduri, Shri Nageshwara Rao
Mirdha, Shri Nathu Ram
Murthy, Shri Kusuma Krishna
Naidu, Shri P. Rajagopal
Patel, Shri Ahmed M.
Pradhan, Shri Amar Roy
Rachaiah, Shri B.
Rajan, Shri K. A.
Ramamurthy, Shri K.
Rangnekar, Shrimati Ahilya P.
Roy, Shri A. K.
Saha, Shri A. K.
Saha, Shri Gadadhar
†Saran, Shri Daulat Ram
Sen, Shri Robin
Tirkey, Shri Pius

NOES

Alhaj, Shri M. A. Hannan
Amin, Prof. R. K.
Balbir Singh, Chowdhry
Barakataki, Shrimati Renuka Devi
Barnala, Shri Surjit Singh
Bateshwar Hemram, Shri
Bharat Bhushan, Shri
Borole, Shri Yashwant
Brij Raj Singh, Shri
Dawn, Shri Raj Krishna
Desai, Shri Morarji
Digvijoy Narain Singh, Shri
Durga Chand, Shri
Dutt, Shri Asoke Krishna
Ganga Singh, Shri
Girjanandan Singh, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hazari, Shri Ram Sewak
Jasrotia, Shri Baldev Singh
Khan, Shri Kunwar Mahmud Ali
Khan, Shri Mohd. Shamsul Hasan
Khrime, Shri Rinching Khandu
Kureel, Shri Jwala Prasad
Mahala, Shri K. L.
Mankar, Shri Laxman Rao
Mohd. Hayat Ali, Shri
Mritunjay Prasad, Shri
Nathuni Ram, Shri
Nayak, Shri Laxmi Narain
Negi, Shri T. S.
Pandey, Shri Ambika Prasad
Parulekar, Shri Bapusaheb
Phirangi Prasad, Shri
Rai, Shri Narmada Prasad
Rajda, Shri Ratansinh
Rakesh, Shri R. N.
Ram Dhan, Shri

†Wrongly voted for 'AYES'